



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268973
CG-DL-E-31122025-268973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 858]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 858]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

सं. 41/2025- सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 944(अ).— जहां कि ऑस्ट्रेलिया, चीन जनवादी गणराज्य, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “लो ऐश मेटालर्जिकल कोक” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2704 00 10, 2704 00 20, 2704 00 30 एवं 2704 00 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/03/2025-डीजीटीआर, दिनांक 14 नवंबर, 2025, जिसे दिनांक 14 नवंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अनंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

- विषयगत वस्तुओं का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया है;
- घरेलू उद्योग को विषयगत देशों से संबद्ध आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;
- विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के भारी आयात के कारण सारवान क्षति हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अनंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे शुल्क सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण*	मूल देश	निर्यात देश	उत्पादक	शुल्क की दर	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2704 00 10, 2704 00 20, 2704 00 30 एवं 2704 00 90	लो ऐश मेटालर्जिकल कोक*	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया सहित कोई भी देश	कोई भी	73.55	मी. टन	यूएस डॉलर
2	वही	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान एवं रूस के अलावा कोई भी देश	ऑस्ट्रेलिया	कोई भी	73.55	मी. टन	यूएस डॉलर
3	वही	वही	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	130.66	मी. टन	यूएस डॉलर
4	वही	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान एवं रूस के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	130.66	मी. टन	यूएस डॉलर
5	वही	वही	कोलंबिया	कोलंबिया सहित कोई भी देश	कोई भी	119.51	मी. टन	यूएस डॉलर
6	वही	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया,	कोलंबिया	कोई भी	119.51	मी. टन	यूएस डॉलर

			जापान एवं रूस के अलावा कोई भी देश					
7	वही	वही	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी	82.75	मी. टन	यूएस डॉलर
8	वही	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान एवं रूस के अलावा कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	82.75	मी. टन	यूएस डॉलर
9	वही	वही	जापान	जापान सहित कोई भी देश	कोई भी	60.87	मी. टन	यूएस डॉलर
10	वही	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान एवं रूस के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई भी	60.87	मी. टन	यूएस डॉलर
11	वही	वही	रूस	रूस सहित कोई भी देश	कोई भी	85.12	मी. टन	यूएस डॉलर
12	वही	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान एवं रूस के अलावा कोई भी देश	रूस	कोई भी	85.12	मी. टन	यूएस डॉलर

* मेटलर्जिकल कोक, जिसमें राख की मात्रा **18%** से कम हो, तथा जिसमें अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है; जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा **0.030%** तक हो; जिसका आकार **30 मिमी** तक हो; तथा जिसका आकार **5%** सहनशीलता के साथ फेरो-एलाय के विनिर्माण में उपयोग किया जा सके।

नोट: विषयगत वस्तुओं का सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, और प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण विषयगत वस्तुओं के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/76/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE
(Department Of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

No. 41/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 944(E).— Whereas, in the matter of ‘Low Ash Metallurgical Coke’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 2704 00 10, 2704 00 20, 2704 00 30 and 2704 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Australia, China PR, Colombia, Indonesia, Japan and Russia (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings F. No. 6/03/2025-DGTR, dated the 14th November, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 14th November, 2025, has provisionally concluded that-

- (i) the product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iii) material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries;

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rule 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid preliminary findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table, falling under the Tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional anti-dumping duty equal to the amount indicated in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:-

Table

S. no.	Tariff Item	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2704 00 10, 2704 00 20, 2704 00 30 and 2704 00 90	Low Ash Metallurgical Coke*	Australia	Any country including Australia	Any	73.55	MT	USD
2	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Australia	Any	73.55	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any	130.66	MT	USD

S. no.	Tariff Item	Description*	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
4	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	China PR	Any	130.66	MT	USD
5	-do-	-do-	Colombia	Any country including Colombia	Any	119.51	MT	USD
6	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Colombia	Any	119.51	MT	USD
7	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any	82.75	MT	USD
8	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Indonesia	Any	82.75	MT	USD
9	-do-	-do-	Japan	Any country including Japan	Any	60.87	MT	USD
10	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Japan	Any	60.87	MT	USD
11	-do-	-do-	Russia	Any country including Russia	Any	85.12	MT	USD
12	-do-	-do-	Any Country other than Australia, Colombia, China PR, Indonesia, Japan and Russia	Russia	Any	85.12	MT	USD

* Metallurgical Coke having ash content below 18% excluding ultra-low phosphorous metallurgical coke with phosphorous content up to 0.030% with size upto 30 mm with 5% size tolerance for use in ferroalloy manufacturing.

Note: Customs classification of the subject goods is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the subject goods.

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months, unless revoked, amended or superseded earlier, from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of the anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC- 190349/76/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.